प्रेस विज्ञप्ति

05.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स विनायक लॉजिस्टिक्स इंडिया प्रा. लि., मेसर्स विनायक लॉजिस्टिक्स और उनके प्रोप्राइटर/निदेशक प्रवेश काबरा द्वारा भारतीय रेल में जानबूझकर, व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13.48 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

इस अस्थायी कुर्की के साथ, वर्तमान मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब लगभग 16.15 करोड़ रुपये है, जो जांच के दौरान निर्धारित अपराध से प्राप्त समस्त आगम का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार, ईडी ने मामले में शामिल अपराध से प्राप्त आगम का 100% प्रभावी ढंग से हासिल कर लिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि आरोपी द्वारा छिपाने, आनंद लेने या आगे धन शोधन के लिए अवैध लाभ का कोई भी हिस्सा उपलब्ध नहीं रहेगा।

अस्थायी कुर्की पीएमएलए के तहत एक व्यापक जांच के अनुसार की गई है, जो नाथद्वारा, मांडल गढ़ और भरतपुर मामलों में सीबीआई, एसपीई, जयपुर द्वारा दर्ज की गई तीन एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसके बाद आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। जांच में एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का पता चला, जिसमें प्रवेश काबरा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आरोपी संस्थाओं ने जानबूझकर उच्च माल ढुलाई वाली वस्तुओं जैसे संगमरमर पाउडर, अपशिष्ट संगमरमर पाउडर और डोलोमाइट को कम माल ढुलाई वाली वस्तुओं जैसे फिटकरी पाउडर और पुट्टी के रूप में गलत घोषित किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य रेलवे भाड़ा दायित्व को गैरकानूनी रूप से कम करना था।

ईडी की जांच में यह बात निर्णायक रूप से स्थापित हुई कि 2021-2022 के दौरान रेलवे बुकिंग रिकॉर्ड में बार-बार और धोखाधड़ी से हेरफेर करके, आरोपी संस्थाओं ने जाली फॉरवर्डिंग नोट्स, हेरफेर किए गए ई-फॉरवर्डिंग नोट्स और गलत एचएसएन कोड का उपयोग करके अवैध रूप से 120 से अधिक रेक का परिवहन किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए वैज्ञानिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि कम माल ढुलाई वाली वस्तुओं के रूप में घोषित खेपों वास्तव में संगमरमर और डोलोमाइट पाउडर थे। इस जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप रेलवे भाड़ा शुल्क और जीएसटी की गलत चोरी हुई, जिससे अपराध से 16.15 करोड़ रुपये आगम की प्राप्ति हुई, और भारतीय रेलवे और सार्वजनिक खजाने को तदनुरूप नुकसान हुआ।

इससे पहले, ईडी ने 06.01.2026 की पीएओ के माध्यम से 2.67 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जो हरियाणा के गुरुग्राम में वाणिज्यिक संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए अपराध के आगम के हिस्से का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि, आगे की वित्तीय जांच से पता चला कि अपराध का शेष आगम, जो 13.48 करोड़ रुपये था, प्रवेश काबरा के कब्जे और नियंत्रण में बना रहा और व्यवस्थित रूप से उसके व्यावसायिक कार्यों और व्यक्तिगत खर्चों के माध्यम से निकाल लिया गया, जिससे उनकी प्रत्यक्ष पहचान और खोज अव्यावहारिक हो गई।

तदनुसार, अपराध से प्राप्त शेष आगम को सुरक्षित करने और जब्ती की कार्यवाही की निराशा को रोकने के लिए, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित एक अचल आवासीय संपत्ति को 13.48 करोड़ रुपये की समतुल्य मूल्य की संपत्ति के रूप में अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

वर्तमान कार्रवाई अपराध से प्राप्त आगम की पहचान करने, उसका पता लगाने और उसे जब्त करने के लिए ई.डी. के अटूट संकल्प को रेखांकित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक अपराधी अवैध गतिविधियों से प्राप्त संपत्ति को अपने पास न रखें या उसका आनंद न लें।

आगे की जांच जारी है।

(कुर्क संपत्ति की तस्वीर)


